218वें सत्र के समापन पर सभापति का वक्तव्य

माननीय सदस्यगण,

राज्य सभा का 218वां सत्र आज समाप्त होने जा रहा है। यह सत्र 19 नवम्बर, 2009 को प्रारम्भ हुआ था। इसमें काफी विधायी कार्य किया गया और सार्वजनिक महत्व के प्रश्नों पर उपयोगी चर्चाएं की गयीं। आन्तरिक सुरक्षा, आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, लिब्रहान आयोग के प्रतिवेदन, जलवायु परिवर्तन, विनिवेश, विश्व व्यापार संगठन वार्ताओं आदि से संबंधित मामलों पर ध्यानाकर्षण प्रस्तावों और अल्पकालिक चर्चाओं के दौरान विस्तारपूर्वक चर्चा की गयी। दूसरी ओर, इस अवधि में, 17 सरकारी विधेयक भी पारित किए गए। सदस्यों को सभापीठ की अनुमति से मामले उठाने और लोक महत्व के मामलों पर 'विशेष उल्लेख' करने हेतु नियमित अवसर भी उपलब्ध कराये गये।

इसके बावजूद, व्यवधान के कारण पांच दिन प्रश्नकाल नहीं हुआ। माननीय सदस्यों को इस पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि सभा में प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण साधन है जिसके द्वारा सूचना प्राप्त की जाती है और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है।

इस सत्र की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सदस्यों को अनुपूरक प्रश्नों को पूछने हेतु व्यापक अवसरों के साथ प्रश्नों की अधिक 'कवरेज' को सुनिश्चित करने हेतु प्रश्नकाल की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने हेतु नियम समिति का निर्णय था।

मैंने महासचिव को सत्र के संबंध में सांख्यिकी संबंधी सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिया है।

सत्र के दौरान सभा में तीन नये सदस्य आए। मुझे विश्वास है कि वे आगामी दिनों में सभा में समृद्ध और मूल्यवान भूमिका निभायेंगे।

मैं 'सभा के नेता', 'विपक्ष के नेता', विभिन्न पार्टियों और समूहों के नेताओं और माननीय सदस्यों को सभा के कार्यकरण को निर्बाध बनाने हेतु उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

मैं उपसभापति, उपसभाध्यक्षों के पैनल के सदस्यों और सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों का भी उनके सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूँ।